न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 88 / 2023	2023 / 533	18.09.2023	19.12.2025

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सगडा उर्फ भैरूराम, जाति सैनी, निवासी धोबी घट्टा, दाई की गुमटी के पास, अलवर, जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1089 निर्णय दिनांक 17.10.2005 तहसीलदार अलवर, जिला अलवर (राज0)

उपस्थितः—

01—श्री जगदीश सैनी —वकील अपीलाण्ट

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2005 नामान्तकरण संख्या 1089 वाके ग्राम अलवर नं. 1 जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलान्ट को पूर्व में इन्तकाल में मिन अपीलान्ट के सही नाम का अंकन होने की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अपीलान्ट ने यह समझा कि उसके सही नाम का नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार हो गया होगा। जिस कारण से अपीलान्ट अपील अन्दर अवधि पेश नहीं किया जा सका। लेकिन अपीलान्ट दिनांक 25.07.2023 को उक्त नामान्तकरण में दर्ज आराजी का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो उसने बताया कि तुम्हारा जमाबन्दी में सही नाम नरेन्द्र कुमार दर्ज ना होकर तुम्हारे नाम नरेन्द्र कुमार के स्थान पर जमाबन्दी में छोटेलाल दर्ज है, जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड नामान्तकरण आदि का अपने वकील साहब से अवलोकन करवाया तो वकील साहब ने बताया कि तुम्हारा नाम इन्तकाल नम्बर 1089 में छोटेलाल दर्ज हो गया है, जिस पर जानकारी होते ही दिनांक 01.08.2023 को नामान्तकरण संख्या 1089 व अन्य राजस्व रिकॉर्ड की नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश करवाया, जिस पर दिनांक 01.08. 2023 को ही नकल प्राप्त कर वकील साहब से सम्पर्क कर सलाह मशवरा किया तो उन्होने अपील करने की सलाह दी, जिस पर अपील हेतु खर्चे का इन्तजाम कर व अपील तैयार करवा कर तारीख जानकारी से अपील बिना देरी के अन्दर अवधि पेश की जा रही है, अपील करने में जो विलम्ब हुआ है, वह अपीलान्ट को गलत इन्तकाल की जानकारी नहीं होने के कारण व्यतीत हुआ है, जो नेक नियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम अलग से पेश है।

अ। रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मिन अपीलान्ट के पिताजी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1225 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3000 हैक्टर वाके ग्राम अलवर नम्बर 01, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है। मिन प्रार्थी के पिता श्री सगडा उर्फ भैरूराम पुत्र श्री सोन्याराम सैनी, जाति सैनी, निवासी अलवर का स्वर्गवास दिनांक 17.01.1998 को हो चुका है। अपीलान्ट के पिता स्व. श्री सगडा उर्फ भैरूराम की मृत्यु होने पर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पिताजी की मृत्यु की ऐवज में नामान्तकरण चढ़वाने (दर्ज) करवाने गये तब सगडा उर्फ भैरूराम के सभी वारिसान का नाम नामान्तकरण में दर्ज हो गया और जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में खाता संख्या 582 पर सगडा उर्फ भैरूराम के नाम के आगे नोट नामान्तकरण संख्या 1089 के वारिस में मिन प्रार्थी का नाम छोटेलाल दर्ज हो गया है, जबकि मिन प्रार्थी का सही नाम नरेन्द्र कुमार है। मिन प्रार्थी का छोटेलाल के नाम से नामान्तकरण गलत नाम का इन्द्राज दर्ज कर दिया गया, परन्तु अधिकारियों की गलती एवं लापरवाही के कारण नामान्तकरण दर्ज होने के के समय की जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में मिन अपीलान्ट के सही नाम नरेन्द्र कुमार की जगह छोटेलाल का नाम जमाबन्दी में अमल कर दिया गया है। परन्तु जिसको रिकॉर्ड में दुरूस्त फरमाया जाकर मिन प्रार्थी के सही नाम नामान्तकरण के नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर न्यायहित में आवश्यक है।

उपरोक्त नामान्तकरण दुरूस्त नहीं किया गया व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती नहीं की गई तो अपीलान्ट के हकूक जायल होगें तथा अपीलान्ट को सरकारी नीतियों का फायदा नहीं मिलेगा तथा अपीलान्ट के फौत होने पर उसका विरास्त का नामान्तकरण भी अपीलान्ट के वारिसान के नाम दर्ज होकर फैसल नहीं होगा। इसलिए दुरूस्ती हेतु यह अपील पेश है। अपीलान्ट स्वयं के सही नाम के बाबत अपना आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात पेश कर रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण 1089 में अपीलान्ट का सही नाम नरेन्द्र कुमार का अंकन किये जाने के आदेश सादिर फरमाये जाने की कृपा करें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2005 नामान्तकरण विरासत संख्या 1089 ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर विरासत मृतक सगडा उर्फ भैरूराम पुत्र सोन्याराम सैनी, निवासी ग्राम अलवन नं. 1 तहसील व जिला अलवर संशोधित कर उक्त आज्ञा में दर्ज अपीलान्ट का नाम "छोटेलाल" को कलमजन कर उसके स्थान पर अपीलान्ट का वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2005 के विरूद्ध दिनांक 22.08.2023 को पेश की गयी है जो करीब 17 साल 10 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित दृष्टांतों में यह सिद्धांत स्थापित है कि यदि आदेश पीड़ित पक्षकार को सुने बिना तथा गलत तथ्यों के आधार पर पारित हुआ हो, तथा संबंधित व्यक्ति को आदेश की वास्तविक जानकारी बाद में प्राप्त हुई हो, तो विलम्ब के प्रश्न पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायसंगत माना गया है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

19.12.25

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर चिन्तन–मनन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि उक्त विवादित नामान्तकरण आदेश संख्या 1089, दिनांक 17.10.2005 तहसीलदार अलवर, जिला अलवर द्वारा अपीलार्थी को तलब किए बिना, तथा उसके सही नाम, पहचान एवं अधिकारों की जाँच किए बिना पारित किया गया, जिसमें अपीलाण्ट का वास्तविक नाम के स्थान पर बोलता हुआ नाम का अंकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण आदेश में अपी0 का नाम गलत रूप में "छोटेलाल पुत्र सगडा उर्फ भैरू" अंकित किया गया, जबकि उसका वास्तविक, प्रमाणित एवं वैधानिक नाम "नरेन्द्र कुमार पुत्र सगडा उर्फ भैरू" (दस्तावेजानुसार) है। अपीलार्थी के समस्त पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल, पैन कार्ड आदि तथा तहसीलदार अलवर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.09.2025 भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। किसी मृतक की विरासत में वारिस के वास्तविक नाम का गलत अंकन न केवल तथ्यगत त्रुटि है बल्कि इससे भविष्य में भूमि पर अधिकार एवं उपयोग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को संशोधन हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत है। अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश इन्तकाल संख्या 1089 दिनांक 17.10.2005 को अपीलाण्ट के नाम/हिस्से तक आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के गलत नाम "छोटेलाल पुत्र सगडा उर्फ भैरूराम" के दर्ज अंकन को कलमजन किया जाकर अपी0 का वास्तविक व सही नाम "नरेन्द्र कुमार पुत्र सगडा उर्फ भैरूराम" का अंकन कर नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)